

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क०नि०-२- २५६ /ग्यारह-९(१०) /०८-उ०प्र०अधि०-३०-०७-आदेश-(५८)-२०१०
लखनऊः दिनांक १९ फरवरी, २०१०

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम रांछा 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश रथनीय क्षेत्र में गाल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शवित का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक १९ फरवरी, २०१० रो, समरा-रामय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना रांछा-क०नि०-२-२७५७/ग्यारह-९(१)/०८-उ०प्र०अधि०-३०-०७-आदेश-(३१)-२००८ दिनांक २९ सितम्बर, २००८ में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुरूपी गें, क्षम संख्या ३, ८, १३ और १८ की प्रविद्दियाँ निकाल दी जायेंगी।

अज्ञा से
(द्वारा दीपक कर्मा)
प्रगुण राचिव।